

भाग-1

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. वार्ड सं०
4. ग्राम
5. ग्राम पंचायत का नाम
6. प्रखंड का नाम
7. आवेदक की श्रेणी अनु०जा० अनु०जनजा० पिछड़ा अतिपिछड़ा अन्य
8. आवेदक की जाति
9. जॉब कार्ड सं०
10. आधार संख्या
11. अन्य सूचनाएँ
(क) भूमि सुधार लाभार्थी (पर्चाधारी)
(ख) इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी
(ग) लघु या सीमान्त कृषक

12. निजी वास भूमि की विवरणी जिसपर निम्नलिखित कार्य करना प्रस्तावित है

खाता सं०	खेसरा सं०	मौजा	रकबा

चौहद्दी

पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण

13. प्रस्तावित कार्य का विवरण
14. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय
15. प्रस्तावित कार्य संबंधी अनुभव
16. SECC-ID
17. SECC डाटा के अनुसार परिवार का वंचन सूचकांक

a. क्या परिवार वंचन श्रेणी में स्वतः शामिल की पात्रता रखता है ?

(अर्थात बेघर परिवार, निराश्रित/भिक्षुक, मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर)

आवेदक द्वारा भरा जाएगा हाँ/नहीं PRS द्वारा भरा जाएगा हाँ/नहीं

(यदि उत्तर हाँ है , तो मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा-5 के प्रत्येक श्रेणी अंतर्गत उपरोक्त वंचन कारक वाले परिवारों को निजी भूमि संबन्धित कार्यों में ग्राम सभा में अनमोदन उपरांत प्राथमिकता दी जाएगी ।)

b. यदि SECC 2011 के सर्वे के अनुसार परिवार स्वतः वंचन श्रेणी में नहीं है अथवा SECC 2011 में उसका नाम सम्मिलित नहीं है, तो निम्न वंचन सूचकांक के आधार पर आवेदक परिवारों का प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा ।

परिवार निम्न में से किस वंचन सूचकांक में शामिल है?

i. कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहनेवाले परिवार।

ii. परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

आवेदक द्वारा भरा गया जाएगा (v)

PRS द्वारा भरा जाएगा (v)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| iii. महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| iv. निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार। | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| v. अनुजा0/अनुज0जा0 परिवार | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| vi. ऐसे परिवार जहाँ 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है। | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| vii. भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं। | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| कुल वंचन सूचकांक की संख्या | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

c. आवेदक परिवार द्वारा क्रमांक a. एवं b. में भरे गए सूचना को ग्राम सभा में, अन्य वंचित परिवारों (SECC 2011 सर्वे के अनुसार वंचित परिवारों) के साथ ग्राम सभा में उपस्थापित कर निजी भूमि के कार्यों में लाभ देने हेतु प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है एवं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आवेदन पत्र समर्पित कर रहा हूँ। मैंने मनरेगा के अन्तर्गत निजी/वास भूमि पर किए जानेवाले कार्यों से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करने के उपरांत आवेदन पत्र भरा है। मैं मनरेगा की मार्गदर्शिका के अनुरूप अपने निजी/वास भूमि पर कार्य कराने का इच्छुक हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग-2

पंचायत रोजगार सेवक का सत्यापन

आवेदन में वर्णित उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन किया गया और ग्राम सभा में उपस्थापित कर आवेदक द्वारा SECC 2011 सूचकांक संबंधित सूचनाओं को ग्राम सभा के निर्णय अनुसार अंकित किया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक का पूरा नाम:- _____

पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर

✕.....

प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमति पिता/पति..... वार्ड सं0-
 ग्राम..... ग्राम पंचायत जॉब कार्ड सं0..... का निजी
 भूमि पर कार्य करने हेतु आवेदन दिनांक को प्राप्त हुआ। इसके प्रमाण स्वरूप यह रसीद दी जा रही है।